तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	30-9-24 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य ... स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त ... होने से जनरल तारीख पेशी दी गई। गत ... आदेश की पालना में दिनांक 9/10/24 ... को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
9/10/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/पेशकार सरकार उप० अप्रार्थीगण सं-1 व 2 बावजूद तामील उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थीगण सं-1 व 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वादपत्र पर पेशकार सरकार बहस सुनी, वादपत्र व संलग्न दस्तावेजातों का अवलोकन किया गया। पेशकार सरकार बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा-177 R.T. Act स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुदा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 9/10/24 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

न्यायालय उपजिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई जिला दौसा।

मु.न. 29 / 2022
दायर दिनांक
निर्णय दिनांक 09.10.2024

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा हाल तहसीलदार बांदीकुई।
—:वादी

बनाम

1. छोटया पुत्र जयनारायण जाति मीना
2. शिम्भू पुत्र जयनारायण जाति मीना निवासी गादरवाडा गुजरान तहसील

प्रतिवादी ....।

वाद अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 09.10.2024

वाद अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का तहसीलदार बसवा द्वारा न्यायालय में विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:— ग्राम भावंरा तहसील बसवा स्थित खातेदारी भूमि ख0नं0 84 रकबा 0.40 हैक्ट0 चाही 1 मे से 0.20 हैक्ट0 भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ (खनन कार्य कर) उपयोग में ली जाकर भूमि का स्वरूप बिगाडने के कारण उक्त खातेदार के विरूद्ध धारा 177 आरटीए 1955 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर भूमि को नियमानुसार सिवायचक घोषित करने बाबत। ग्राम भाँवरा पटवार हल्का गादरवाडा गुजरान तहसील बसवा स्थित खातेदारी भूमि खाता संख्या 12 के ख0नं0 84 रकबा 0.40 हैक्ट० किस्म चाही 1 मुताबिक जमाबंदी उपर्युक्त खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। 2. यह कि पटवारी हल्का गादरवाडा गुजरान एवं भू०अ० निरीक्षक गुढलिया ने दिनांक 08.03.2022 को ग्राम भाँवरा तहसील बसवा स्थित उपरोक्त खातेदारी भूमि में से 0.20 हैक्ट भूमि (खनन कार्य कर) कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ काम में ली जा रही है, बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त खसरा नम्बर को कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ (खनन कार्य कर) कृषि भूमि को अकृषि उपयोग में ली जाकर कृषि भूमि का स्वरूप बिगाड दिया है। खातेदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियमो का उल्लंघन किया है। अतः खातेदार की खातेदारी समाप्त कर भूमि से खातेदारान को बेदखल कर खातेदारी भूमि को सिवायचक घोषित किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि खातेदार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत हानि प्रद कार्य एवं कृषि अयोग्य भूमि करने के कारण बेदखली की शास्ति का दायी व भागीदार है। जिससे यह वाद पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया है। श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार मे है निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खातेदार को उक्त भूमि से वेदखल कर भूमि को सिवायचक राजकीय सम्पदा घोषित करने की कृपा करें।

पत्र श्रीमान जी को प्रस्तुत है। जिसमे वादी को सफलता की पूर्ण आशा है। पटवारी का रिपोर्ट दिनांक 08.03.2022, नक्शा ट्रेस व जमाबंदी, मूल ही प्रस्तुत है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर जर्ये समन तलबी प्रतिवादीगण की गई। पक्षकारान बावजुद तलबी उपस्थित नही है। प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रकरण में एकपक्षीय बहस सरकार पैरोकार सुनी गई। बहस के दौरान वाद पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये। वाद पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया वाद पत्र के साथ पटवारी हल्का द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में खसरा नम्बर 84 रकबा 0.40 है. मे से 0.20 है. बिना अनूमति के अकृषि प्रयोग मे लेने बताया गया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार द्वारा पेश वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि तहसीलदार बसवा द्वारा पेश वाद धारा 177 का स्वीकार किया जाकर ग्राम भावंरा तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई स्थित खातेदारी भूमि ख0नं0 84 रकबा 0.40 हैक्ट0 चाही 1 मे से 0.20 हैक्ट0 भूमि जो अकृषि प्रयोजनार्थ (खनन कार्य करे) उपयोग में ली जा रही है उक्त खातेदार के विरूद्ध धारा 177 आरटीए 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये खसरा नम्बर 84 रकबा 0.20 है. चाही 1 भूमि को सिवायचक घोषित किया जाता है। तहसीलदार बांदीकुई नियमानुसार उक्त आदेश का अंकन राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे, तहरीर एवं पर्चा डिक्री जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 09.10.2024 को खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया।

9/10/24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई